REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228658 CG-DL-E-31072021-228658

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2859] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943 No. 2859] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

**का.आ. 3081(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
610	202के	अखेगवो के निकट रारा - 202 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होने वाला और नगालौंड
		राज्य में भारत / म्यांमार सीमा के पास अवंगखु पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/17/2021-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2980(अ), दिनांकित 28 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2021

**S.O. 3081(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
610	202K	The highway starting from its junction with NH-202 near Akhegwo and terminating at Avangkhu near India/ Myanmar border in the State of Nagaland.

[F. No. NH-14012/17/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2980 (E), dated 28<sup>th</sup> July, 2021.